न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—60 / 2014 / 225 (2014 / 00047)

1. मदनदास पुत्र श्योजीदास, जाति दादूपन्थी (मृतक) जरिये वारिसानः—
1 / 1— मु0 गीता देवी पत्नि मदनदास,
1 / 2— किशनदास पुत्र मदनदास,
1 / 3— शंभूदास पुत्र मदनदास,
समस्त जाति दादूपन्थी, नि0 बिचून, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्योजीदास चेला मोठादास,
2. पूरणदास पुत्र श्योजीदास,
3. लक्ष्मणदास पुत्र श्योजीदास,
4. पुरूषोतम पुत्र श्योजीदास,
5. दीनदयालदास पुत्र श्योजीदास,
6. गीतादेवी पुत्री श्योजीदास,
7. विमलादेवी पुत्री श्योजीदास,
8. सुशीलदेवी पुत्री श्योजीदास,
9. निर्मलादेवी पुत्री श्योजीदास,
   समस्त जाति दादूपन्थी, नि0 बिचून, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
11. उप पंजीयक, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर, दूद, दिनांक 3.2.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 191 / 2013 (176 / 2013).

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री योगेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 9 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 10 व 11.

निर्णय

दिनांकः— 31.10.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 3.2.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के आराजी खाता संख्या 432 के आराजी खसरा नंबर 170 रकबा 0.94 है0, खसरा नंबर 171 रकबा 1.07 है0, खसरा नंबर 230 रकबा 0.94 है0, खसरा नंबर 230 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबर 231 रकबा 1.04 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.20 है0 वाके ग्राम बिचून, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है । उपरोक्त आराजियात में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 का 9/10 हिस्सा है, इसी अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ पक्षकारान का सजरा खानदान पेश कर निवेदन किया कि उक्त सजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजियात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है । विवादित आराजियात पक्षकारान की पैतृक आराजियात है, जो पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की पैतृक आराजियात रही है, जो विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई है । चूंकि विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है इसलिये विवादित आराजियात में संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होने के कारण पक्षकारान एक ही परिवार के आपस में पिता–पुत्र–पुत्रियां होने के कारण उक्त विवादित आराजियात में कानूनन बाई बर्थ प्रत्येक पक्षकार का हक व हिस्सा है । वर्तमान में जमीनों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है, प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजियात से महरूम रखने के ईरादे से उक्त आराजियात का दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजियात में प्रार्थी के हिस्से की आराजी में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी उत्पन्न न स्वंय करे न अन्य किसी नौकर–चाकर, एजेन्ट आदि से करावे तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करे तथा न ही विवादित आराजियात का किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 3.2.2014 द्वारा प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित आराजी खसरा नंबर 171 रकबा 1.07 है0 बाबत् ताफैसला मलू वाद पाबंद करने के आदेश पारित किये तथा शेष खसरा नंबरान बाबत् प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 3.2. 2014 जिसके द्वारा खसरा संख्या 170, 230, 231 बाबत् प्रार्थना पत्र खाजिर किया गया है न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र के वैधानिक घटकों को मध्यनजर रखते हुए अपना निर्णय पारित करना चाहिये था । वर्तमान चारों खसरा संख्या अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज थे, जिसमें से एक खसरा संख्या 171 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, शेष खसरा नंबरान बाबत् स्वअर्जित सम्पति होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है । विवादित सम्पति स्वअर्जित है अथवा पैत्रिक यह सभी बिन्दु वाद में साक्ष्य के उपरांत निर्णित करने होते है । प्रथमदृष्टया

यदि विवादित आराजियात को बेचान किया जा रहा है तो उसे रोका जाना आवश्यक है जिससे राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं हो तथा मुकदमेबाजी की बढ़ावा नहीं मिले । इसलिये प्रथमदृष्टया संपूर्ण आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र को इस प्रकार निर्णित किया है जैसे कि वह वाद को निर्णित करने जा रहो । प्रथम दृष्टया तो पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जो कि पुत्र, पुत्री व पिता है । जहां पारिवारिक विवाद हो, वहां खातेदार के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 जो प्रार्थी के भाई है तथा प्रार्थी को उनके पिता की आराजी से वंचित रखने के लिये विवादित आराजी को बेचान करने उतारू है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 को जिस प्रकार निर्णित किया है उसे एक तरह से वाद ही खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 3.2.2014 द्वारा खसरा नंबर 170, 230, 231 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का जो प्रार्थना पत्र खारिज किया है, उसे निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संपूर्ण खसरा नंबरान बाबबत् स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 9 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । साबिक खसरा नंबर 605, 606, 661, 662 के हाल खसरा नंबर 170, 171, 230, 231 बने है तथा इन आराजियात का पर्चा संवत् 2011 में अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पो0 के नाम आया था जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 को विरासत से प्राप्त नहीं होकर उसकी स्वअर्जित आराजियात है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 605, 606, 661, 662 के हाल खसरा नंबर 170, 171, 230, 231 बने है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रथमदृष्टया साबित होता है कि साबिक खसरा नंबर 606 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 171 बने है, का पर्चा मोहनदास के नाम आया है । नामांतकरण संख्या 637 दिनांक 20.11.1966 से अप्रार्थी संख्या 1 को मोहनदास से विरासत में प्राप्त होना पाया जाता है । शेष आराजी खसरा नंबर 170, 230, 231 की आराजियात का पर्चा संवत् 2011 में अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम से आना पाया जाता है । उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 605, 661 व 662 रेस्पो0 संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है । रेस्पो0 संख्या 1 की स्वअर्जित आराजियात बाबत् प्रार्थी/अपीलांट किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । हाल खसरा नंबर 171 रकबा 1.07 है0 रेस्पो0 संख्या 1 को विरासत से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति पाये जाने से अधी0न्याया0 ने हाल खसरा नंबर 171 रकबा 1.07 है0 बाबत् अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है तथा शेष खसरा नंबर 170, 230, 231 बाबत् प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है । अधी0न्याया0 का यह आदेश विधिसम्मत् है जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट

खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.2.2014 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर